37

संख्याः 758/XX(1)-2012-4(48)2006

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 30 मई 2012।

विषयः-पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय) अभिसूचना एवं मण्डलाधिकारी हल्द्वानी के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रोविजनिंग एण्ड माडर्नाईजेशन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः डीजी-दो-45(10)/2006 दिनांक 17 मार्च, 2012 के कम में शासनादेश संख्याः 171/XX-1/34-निर्माण/आयोजनेत्तर/2006-07 दिनांक 25 मई, 2007 तथा शासनादेश संख्याः 362(I)/376/XX-1/10-34नि./06 दिनांक 15 जुलाई, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल में पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय) अभिसूचना एवं मण्डलाधिकारी हल्द्वानी के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि रूपये 39.50 लाख के सापेक्ष अद्यतन कुल रूपये 37.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवशेष(समस्त) रूपये 2.24 लाख(रूपये दो लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ अवमुक्त की जा रही कि निर्माण कार्य अनुमोदित धनराशि की सीमान्तर्गत ही 31.07.2012 तक पूर्ण कराया जायेगा तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

3- निर्माण कार्य हेतु 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली(Procurment Rules), 2008' में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्ही मद में किया जाय जिस हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है।

5– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– यह धनराशि तभी अवमुक्त होगी जब पुलिस महानिदेशक की सहमति के अनुरूप 'कार्य सन्तोषप्रद' प्रमाण–पत्र पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत कर दिया गया हो।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्यय अनुदान संख्याः 10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षकः 4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत, 211–पुलिस आवास, 03–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य) के मानक मद–24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8– वित्त विभाग की वैबसाईट से प्राप्त कम्प्यूटर आवंटन संख्या:S1205101024 संलग्न है।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शासकीय पत्र संख्याः 11/PLAN/XXVII/5/2012 दिनांक 20 मई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 758(1)/XX-1/12–4(48)2006, तद्दिनाँक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव